2025:CGHC:43270

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 220/2025

1– शंकर प्रसाद सोनी, पिता मथुरा राम सोनी, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी– देवीगंज रोड, जायसवाल चित्रा मंदिर के सामने (आक्षेपित आदेश के शीर्षक में इसे त्रुटिवश जायसवाल उल्लेखित किया गया है), थाना एवं तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा (छत्तीसगढ़)। (प्रतिवादी क्रमांक 1)

2– शांति सोनी, पति शंकर सोनी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– देवीगंज रोड, जायसवाल चित्रा मंदिर के सामने (आक्षेपित आदेश के शीर्षक में इसे त्रुटिवश जायसवाल उल्लेखित किया गया है), थाना एवं तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा (छत्तीसगढ़)। (प्रतिवादी क्रमांक 2)

3– राहुल सोनी, पिता शंकर सोनी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– देवीगंज रोड, जायसवाल चित्रा मंदिर के सामने (आक्षेपित आदेश के शीर्षक में इसे त्रुटिवश जायसवाल उल्लेखित किया गया है), थाना एवं तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा (छत्तीसगढ़)। (प्रतिवादी क्रमांक 3)

... आवेदकगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

1– श्याम नारायण पाण्डेय, पिता स्व. राम कृपाल पाण्डेय, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी– देवीगंज रोड, जायसवाल चित्रा मंदिर के सामने, थाना एवं तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा (छत्तीसगढ़)। (वादी क्रमांक 1)

2– सुधीर कुमार पाण्डेय, पिता स्व. दीनदयाल पाण्डेय, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी– देवीगंज रोड, जायसवाल चित्रा मंदिर के सामने, थाना एवं तहसील– अंबिकापुर, जिला– सरगुजा (छत्तीसगढ़)। (वादी क्रमांक 2)

3– श्रीमती पूनम नागदेव, पति अशोक कुमार नागदेव, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी– जोड़ा पीपल नगर, अंबिकापुर, जिला– सरगुजा (छत्तीसगढ़)। (प्रतिवादी क्रमांक 4)

...उत्तरवादीगण

आवेदकगण की ओर से : सुश्री अदिति सिंघवी , अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर आदेश

26/08/2025

1. यह सिविल पुनरीक्षण, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 11–A/2023 में दिनांक 05.08.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्तागण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. इस पुनरीक्षण के माध्यम से, आवेदक ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:-

> "अतःसविनय प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) द्वारा वाद क्रमांक 11A/2023 में दिनांक 05.08.2025 को पारित आदेश को अपास्त करने की कृपा करें, एवं न्याय के हित में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को सव्यय खारिज करने की कृपा करें।"

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, वादीगण ने प्रारंभ में घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग करते हुए एक व्यवहार वाद संस्थित किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रार्थना की गई थी कि 311 वर्ग फुट वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 534 का एक अभिन्न भाग है, जो उनके अनुसार, उनके स्वामित्व और आधिपत्य के अधीन उनकी अनन्य संपत्ति है। साथ ही, उन्होंने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर प्रवेश करने, उस पर कोई निर्माण करने, या उनके शांतिपूर्ण कब्जे में अन्यथा हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए डिक्री की मांग की थी। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वादीगण ने संशोधन के माध्यम से मूल रूप से मांगे गए अनुतोष की प्रकृति को बदल दिया और अपने स्वामित्व का दावा करते हुए वादग्रस्त भूमि का रिक्त कब्जा प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त प्रार्थना को शामिल किया। उन्होंने आगे यह मांग भी की कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 द्वारा अवैध रूप से निर्मित किए गए ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाए और परिणामतः उक्त भूमि का खुला और रिक्त कब्जा उनके पक्ष में सौंपा जाए। उक्त संशोधन किए जाने पर, याचिकाकर्तागण/प्रतिवादीगण ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें इस आधार पर वाद–पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की गई कि एक बार जब वादीगण ने कब्जे और ध्वस्तीकरण के अनुतोष का दावा कर दिया है, तो उनके लिए अनिवार्य रूप से वादग्रस्त भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर वाद का मूल्यांकन करना और उस पर उचित यथामूल्य न्यायालय शुल्क का संदाय करना आवश्यक है। यह भी तर्क दिया गया कि उचित मूल्यांकन किए जाने पर, विद्वान विचारण न्यायालय का आर्थिक अधिकारिता समाप्त हो जाएगा, जिससे उक्त न्यायालय के समक्ष वाद पोषणीय नहीं रह जाएगा।

4. प्रतिवादीगण ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के अधीन वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें इस आधार पर वाद खारिज करने की मांग की गई है कि वादी वादग्रस्त संपत्ति के कब्जे की मांग कर रहा है। आगे यह तर्क किया गया है कि वाद के लंबित रहने के दौरान, वादी ने अनुतोष खंड में संशोधन किया है, किंतु उस पर आवश्यक और पर्याप्त न्यायालय शुल्क का संदाय करने

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में असफल रहा है। प्रतिवादीगण के अनुसार, यदि उचित और सही न्यायालय शुल्क की गणना और संदाय किया जाता है, तो वाद का मूल्यांकन विचारण न्यायालय के आर्थिक अधिकारिता से अधिक हो जाएगा, जिससे यह न्यायालय इस प्रकरण पर विचार करने के लिए अक्षम हो जाएगा। अतः, प्रतिवादीगण ने प्रार्थना की है कि वाद–पत्र न केवल उचित न्यायालय शुल्क का संदाय न करने के कारण, बल्कि अधिकारिता के अभाव के कारण भी अस्वीकार किए जाने योग्य है।

5. आवेदक ने विशेष रूप से यह तर्क किया है कि यदि वाद का विधि के अनुसार विधिवत और उचित रूप से मूल्यांकन किया गया होता, तो इस प्रकार किया गया मूल्यांकन विचारण न्यायालय के आर्थिक अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आता। तदनुसार, अनुचित मूल्यांकन या अधिकारिता के अभाव के संबंध में उठाई गई आपत्ति पर विचार किया जाना आवश्यक था, जिस पर विचार नहीं किया गया।

6. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह सविनय तर्क किया है कि वाद के उचित मूल्यांकन और उस पर संदाय किए गए न्यायालय शुल्क की पर्याप्तता के संबंध में गंभीर विवाद विद्यमान है। यह तर्क किया गया है कि यदि वाद का उचित रुप से मूल्यांकन किया जाए और विधि के अनुसार उचित न्यायालय शुल्क निर्धारण किया जाए, तो मूल्यांकन विचारण न्यायालय के आर्थिक अधिकारिता से अधिक हो जाएगा, जिससे कार्यवाही उसकी सक्षमता से परे हो जाएगी। इस विधिक दोष के बावजूद, विचारण न्यायालय ने त्रुटिवश आवेदक की आपत्ति को खारिज/अस्वीकार कर दिया है। अतः, उक्त आदेश से व्यथित होकर, आवेदक ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और पुनरीक्षण याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की योजना के अधीन यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि, आदेश 7 नियम 11 के अधीन किसी आवेदन का न्यायनिर्णयन करते समय, न्यायालय को स्वयं को सख्ती से केवल वाद–पत्र में किए गए कथनों तक ही सीमित रखना चाहिए, और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बचाव या किसी अन्य बाह्य विचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अतः, आवेदन का निर्णय केवल वाद–पत्र में निहित अभिवचनों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उठाए गए बचाव के गुण–दोष के आधार पर।

8. प्रतिवादी ने कब्जे के संबंध में आपत्तियाँ उठाई हैं, जबकि वादी का यह तर्क है कि कब्जे के विवाद्यक को पहले ही वाद–पत्र में संशोधन के माध्यम से विधिवत शामिल और संबोधित किया जा चुका है।

9. सुहृद सिंह विरुद्ध रणधीर सिंह, (2010) 12 **एससीसी 112 में** प्रकाशित प्रकरण में, निम्नानुसार अवधारित किया गया है:–

> "7. धारा 7(iv)(ग) यह प्रावधान करती है कि पारिणामिक अनुतोष सहित घोषणात्मक डिक्री के वादों में, न्यायालय शुल्क की गणना उस राशि के अनुसार की जाएगी जिस पर वाद-पत्र में मांगे गए अनुतोष का मूल्यांकन किया

गया है। इसके परंतुक से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पारिणामिक अनुतोष के साथ घोषणात्मक डिक्री का वाद किसी संपत्ति के संदर्भ में है, वहाँ ऐसा मूल्यांकन धारा 7 के खंड (v) द्वारा प्रदान की गई पद्धति से गणना किए गए संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा।"

10. **सुजीर केशव नायक विरुद्ध सुजीर गणेश नायक, (1992) 1 एससीसी 731** में प्रकाशित प्रकरण में, निम्नानुसार अवधारित किया गया है:-

"3..... वादी किसी विशेष श्रेणी के न्यायालय से बचने के प्रयोजनार्थ वाद का अधिमूल्यांकन या अल्पमूल्यांकन कर सकता है। पूर्ववर्ती स्थिति में, उचित न्यायालय में प्रस्तुति हेतु आदेश 7 नियम 10 के अधीन वाद-पत्र लौटाया जा सकता है, लेकिन पश्चातवर्ती स्थिति में यह खारिज किए जाने योग्य है। चूंकि अल्पमूल्यांकन वाद की पोषणीयता की जड़ तक जाता है, इसलिए प्रतिवादी वाद की प्रकृति की परवाह किए बिना आपत्ति उठाने का हकदार है।"

"....."

"इस पहलू पर विधि को निम्नानुसार समझा जाना चाहिए:"

(1) जहाँ न्यायालय शुल्क का प्रश्न अधिकारिता से जुड़ा हो, वहाँ प्रतिवादी को आपत्ति उठाने का अधिकार है और न्यायालय को इसे प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में तय करना चाहिए।

"....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **साबिर मोहम्मद युसूफ विरुद्ध साबिर अब्दुल रहमान, 2008 एससीसी आनलाइन आल 430** में प्रकाशित प्रकरण में, निम्नानुसार अवधारित किया गया है:–

"9. यद्यपि, इस प्रकरण में विवाद्यक यह है कि क्या की गई प्रार्थना के अनुसार मौजूदा विधि के अनुसार न्यायालय शुल्क का संदाय करना है या नहीं।

"10. धारा 7(iv)(ग) यह व्यक्त करती है कि घोषणात्मक डिक्री या आदेश प्राप्त करने के लिए, जहाँ पारिणामिक अनुतोष की प्रार्थना की गई हो, वादी को उस राशि का उल्लेख करना होगा जिस पर वह मांगे गए अनुतोष का मूल्यांकन करता है। इसी प्रकार, धारा 7(v) के अधीन भूमि, घरों और बगीचों आदि के कब्जे के वादों में, यह विषय–वस्तु के आधार पर होगा।"

"11. हमारे अनुसार, इस प्रकरण में पारिणामिक अनुतोष को केवल नाममात्र या आकस्मिक अनुतोष नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक 'सारवान अनुतोष' है। यह सही माना गया है कि 'बेनामी' का अर्थ है कि कोई व्यक्ति संपत्ति में किसी के सारवान अधिकार को स्वीकार कर रहा है और फिर उसे बेदखल करने की मांग कर रहा है। यह दावे के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को बेदखल करने का केवल साधारण अनुतोष नहीं है। यह हो सकता है कि यह गुप्त मार्ग हो, किंतु हमें वाद–पत्र के आधार पर ही चलना होगा।"

> "12. इसलिए, हमें विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा वादी/अपीलार्थी को यथामूल्य न्यायालय शुल्क का संदाय करने का निर्देश देने वाले आदेश को पारित करने में कोई त्रुटि नहीं मिली है।"

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन आवेदन पर विचार करते हुए, अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन आवेदन का न्यायनिर्णयन केवल वाद–पत्र में किए गए कथनों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बचाव के आधार पर। न्यायालय ने अवधारित किया कि वाद के लंबित रहने के दौरान, वादी ने कब्जे के अनुतोष को शामिल करके वाद–पत्र में संशोधन किया था और कथित निर्माण को ध्वस्त करने तथा रिक्त कब्जा सौंपने के निर्देश की भी मांग की थी। विचारण न्यायालय ने आगे यह अभिलिखित किया कि वाद के मूल्यांकन के तरीके या वादी द्वारा न्यायालय शुल्क के संदाय करने में कोई अवैधता या दोष नहीं है। यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब वादी ने वाद के लंबित रहने के दौरान कब्जे और ध्वस्तीकरण के अनुतोष की मांग कर ली है, तो इसके लिए नए सिरे से मूल्यांकन या अतिरिक्त न्यायालय शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है। अतः, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अधीन अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति सारहीन पाई गई और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यदि विचारण न्यायालय के आर्थिक अधिकारिता के संबंध में कोई विवाद उठाया जाता है, तो न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह आर्थिक विवाद्यकों के संदर्भ में प्रकरण की जांच करे और तदनुसार सुसंगत विवाद्यक विरचित करे। वाद–पत्र के परिशीलन और विवाद्यकों के विरचन के संबंध में आवेदन में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर, यदि यह प्रकट होता है कि वाद विचारण न्यायालय के आर्थिक अधिकारिता से परे है, तो केवल उठाई गई आपत्तियों के आधार पर वाद को प्रारंभिक स्तर पर ही संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।

14. तदनुसार, आगे बढ़ने से पूर्व विचारण न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह वाद के उचित मूल्यांकन का अभिनिश्चय करे और न्यायालय शुल्क की पर्याप्तता का निर्धारण करे। प्रारंभिक विवाद्यक विरचित करने और उस पर साक्ष्य लेने के पश्चात, यदि अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि वाद न्यायालय के आर्थिक अधिकारिता से परे है, तो विधि के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है। यद्यपि, जब तक ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक विचारण न्यायालय को अपने अधिकारिता का प्रयोग जारी रखना चाहिए और प्रकरण का निर्णय गुण–दोष के आधार पर करना चाहिए।

15. उपरोक्त विश्लेषण और निर्देशों के आलोक में, इस सिविल पुनरीक्षण का निराकरण किया जाता है।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur